बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पोस्ट मैट्रिक छात्रावृत्ति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत इन्टमीडियट तथा पोलिटेकनिक, आई०टी०आई० एवं वोकेशनल कोर्स के वर्ग 11 एवं 12 तथा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम०फील० एवं पी०एच०डी० स्तर तक के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के सभी कोर्सों के ऐसे छात्र/छात्रा से **ऑनलाईन आवेदन** आमंत्रित किया जाना है । कक्षा 11 एवं 12 के छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट **www.scholarships.gov.in, www.minorityaffairs.gov.in** एवं **National Scholarships Portal** पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है ।

छात्र/छात्राओं हेतु महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- यह छात्रवृत्ति सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत **बिहार राज्य के निवासी विद्यार्थियों** के लिए है । दूरस्थ पाठ्यक्रम अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए यह छात्रवृत्ति देय नहीं है ।
- विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावक का वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- **ऑनलाईन आदेवन पत्र (नवीन)** हेतु इन्टर, पोलिटेकनिक, आई०टी०आई० एवं वोकेशनल कोर्स में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को मैट्रिक का अंक के आधार पर, स्नातक में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को इन्टर/+2 के प्राप्तांक और स्नातकोत्तर में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है ।
- आवेदक को पिछले परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक नहीं होना चाहिए ।
- इस छात्रवृति को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रावृत्ति का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे ।
- एक परिवार के दो सदस्यों से अधिक को यह छात्रवृति नहीं दी जायगी ।
- नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की समय-सीमा **01 जुन 2017 से 31 अगस्त 2017** के मध्य रात्रि तक निर्धारित है ।
- नवीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की समय-सीमा **01 जुन 2017 से 31 जुलाई 2017** के मध्य रात्रि तक निर्धारित है ।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑफलाईन आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा का दावा 50,000/- (पचास हजार) तक होने पर कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया जाना है । आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी सभी अनुलग्नकों सहित अपने शिक्षण संस्थान में जमा करेंगे एवं जिन अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का दावा 50,000/- (पचास हजार) से अधिक है वे आवश्यक सभी दस्तावेज वेबसाईट पर अपलोड करेंगे ।
- सभी स्कूल/संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन को ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है ।
- जिन नवीन/नवीकरण छात्रों का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 2016-17 में ऑनलाईन आवेदन स्वीकृत है परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि के कारण छात्रवृत्ति की राशि अंतरित की जाने की प्रक्रिया में है वे छात्र 2017-18 में नवीकरण ऑनलाईन (कक्षा 11 एवं 12 के लिए) आवेदन करेंगे ।

- ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं बैंक खाता आधार सीडेड होना आवश्यक है । यदि आधार कार्ड निर्गत नहीं हुआ हो तो Enrollment No की छायाप्रति या आधार निर्गत करने के संबंध में अनुरोध पत्र की छायाप्रति मान्य होगा । यदि Enrollment No या आधार नम्बर निर्गत करने से संबंधित अनुरोध पत्र उपलब्ध नहीं है तो निम्नांकित पहचान-पत्र मान्य होंगे ।

  1. बैंक पासबुक का छायाप्रति । 2 राशन कार्ड का छायाप्रति ।

  3. पैन कार्ड का छायाप्रति । 4. पासपोर्ट का छायाप्रति ।

  5. ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति ।

  6. Certificate of Identity having Photo of such student issued by a Headmaster/Principal with offical seal.

  7. Any other documents specified by the State Government or Union Territory Administration.

- **छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खाता में भेजी जाएगी । अतएव बैंक खाता संख्या तथा बैंक का IFSC Code भरा जाना अनिवार्य है ।**
- यह लक्ष्य आधारित योजना है । नवीन छात्र/छात्राओं का चयन लक्ष्य के अनुरूप किया जायेगा ।
- बिहार राज्य का लक्ष्य 35712 (नवीन) निर्धारित है ।
- नवीकरण छात्र/छात्राओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं है ।

<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज/प्रमाण पत्रः-</u>

- Institution Verification Form
- Family annual Income Certificate issued by the authority designated by the State Government/UT Administration (as per the scheme requirement)
- Photocopy of last Passed Board Examination for fresh application
- Fee Receipt / Fee Structure of Current Course Year
- Photocopy of Student's Aadhar Seaded Bank Account Pass Book
- Photo copy of Aadhar Card
- Photocopy of Last Year Exam Marksheet only for Renewal Application
- Photocopy of Residential Certificate
- A valid Mobile Number (Maximum two applications per mobile)
- An Email Id (Maximum two applications per mobile)
- Community Certificate: Self Certificated/Self Decelared
- Domicile/Residential Certificate
-